Section 5: Base year revenue

- (1) Subject to the provision of sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6), the base year revenue for a State shall be the sum of the revenue collected by the State and the local bodies during the base year, on account of the taxes levied by the respective State or Union and net of refunds, with respect to the following taxes, imposed by the respective State or Union, which are subsumed into goods and services tax, namely:—
 - (a) the value added tax, sales tax, purchase tax, tax collected on works contract, or any other tax levied by the concerned State under the erstwhile entry 54 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution;
 - **(b)** the central sales tax levied under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);
 - (c) the entry tax, octroi, local body tax or any other tax levied by the concerned State under the erstwhile entry 52 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution;
 - (d) the taxes on luxuries, including taxes on entertainments, amusements, betting and gambling or any other tax levied by the concerned State under the erstwhile entry 62 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution;
 - **(e)** the taxes on advertisement or any other tax levied by the concerned State under the erstwhile entry 55 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution;
 - (f) the duties of excise on medicinal and toilet preparations levied by the Union but collected and retained by the concerned State Government under the erstwhile article 268 of the Constitution;
 - (g) any cess or surcharge or fee leviable under entry 66 read with entries 52, 54, 55 and 62 of List-II of the Seventh Schedule to the Constitution by the State Government under any Act notified under sub-section (4),

prior to the commencement of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016:

Provided that the revenue collected during the base year in a State, net of refunds, under the following taxes shall not be included in the calculation of the base year revenue for that State, namely: —

- (a) any taxes levied under any Act enacted under the erstwhile entry 54 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution, prior to the coming into force of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, on the sale or purchase of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption;
- (b) tax levied under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), on the sale or purchase of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption;

Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

- (c) any cess imposed by the State Government on the sale or purchase of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption; and
- (d) the entertainment tax levied by the State but collected by local bodies, under any Act enacted under the erstwhile entry 62 of List-II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution, prior to coming into force of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.
- (2) In respect of the State of Jammu and Kashmir, the base year revenue shall include the amount of tax collected on sale of services by the said State Government during the base year.
- (3) In respect of the States mentioned in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, the amount of revenue foregone on account of exemptions or remission given by the said State Governments to promote industrial investment in the State, with respect to such specific taxes referred to in sub-section (1), shall be included in the total base year revenue of the State, subject to such conditions as may be prescribed.
- (4) The Acts of the Central Government and State Governments under which the specific taxes are being subsumed into the goods and services tax shall be such as may be notified.
- (5) The base year revenue shall be calculated as per sub-sections (1), (2), (3) and (4) on the basis of the figures of revenue collected and net of refunds given in that year, as audited by the Comptroller and Auditor-General of India.
- (6) In respect of any State, if any part of revenues mentioned in sub-sections (1), (2), (3) and (4) are not credited in the Consolidated Fund of the respective State, the same shall be included in the total base year revenue of the State, subject to such conditions as may be prescribed.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 5 : आधार वर्ष राजस्व

- (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य या संघ द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे संगृहीत राजस्व और क्रमिक राज्य या संघ द्वारा अधिरोपित निम्नलिखित करों, जिन्हें माल और सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया है, के सम्बन्ध में शुद्ध प्रतिदायों का योग होगा, अर्थात:—
 - संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रारम्भ से पूर्व,—
 - (क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, संकर्म संविदा पर संगृहीत कर या संबद्ध राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत कोई अन्य कर;
 - (ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय विक्रय कर;
 - (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रवेश कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर, या कोई अन्य कर;
 - (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत भोग—विलास की वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद—प्रमोद, दांव लगाने और जुआ खेलने पर कर, या कोई अन्य कर:
 - (ड.) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उदगृहीत विज्ञापन पर कर या कोई अन्य कर;
 - (च) संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 268 के अधीन औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर संघ द्वारा उद्गृहीत किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संगृहीत और प्रतिधारित उत्पाद—शुल्क;
 - (छ) उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अधीन उदगृहीण कोई उपकर या अधिभार या फीसः

परन्तु निम्नलिखित करों के अधीन, किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान, संगृहीत राजस्व, शुद्ध प्रतिदायों को उस राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात:—

(क) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कोई कर;

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

- (ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उदगृहीत कर;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर अधिरोपित कोई उपकर:
- (घ) संविधान (एक सौ एकवां संशोंधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची—2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन अधीनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा उद्गृहीत, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत मनोरंजन कर।
- (2) जम्मू—कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, आधार वर्ष राजस्व में आधार वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के विक्रय पर संगृहीत कर की रकम सिम्मिलित होगी।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे विनिर्दिष्ट करों के सम्बन्ध में, राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए उक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के कारण छोड़ दिए गए राजस्व की रकम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएंगी।
- (4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट कर, माल और सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं, वे होंगे, जो अधिसूचित किए जाएं।
- (5) आधार वर्ष राजस्व की संगणना, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित उस वर्ष में संगृहीत राजस्व के आंकड़ों और दिए गए शुद्ध प्रतिदायों के आधार पर उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार की जाएगी।
- (6) किसी राज्य के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग, सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा।